11

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/शिका./सेल–2/एफ–86 /2018/ 1548 भोपाल दिनांक 28/8/2018

प्रति,

डॉ. रमेश चन्द्र चोयल,
स्त्री रोग विशेषज्ञ,
जिला चिकित्सालय बडवानी मध्यप्रदेश।

द्वारा– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी म.प्र.।

विषयः– विभागीय जाचं विरूद्ध – डॉ. रमेश चन्द्र चोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय बडवानी मध्यप्रदेश।

-----000-----

आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत आपके विरूद्ध संलग्न आरोप पत्र में अंकित कदाचरण के लिए विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका उल्लेख संलग्न आरोप पत्र में दिया गया है। अभिकथन जिस पर आरोप आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिये गये अनुसार है। अभिकथन पत्र के अभिलेखो की सूची तथा गवाहो की सूची जिन पर आरोप आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिये गयेा अनुसार है। अभिकथन पत्र के अभिलेखो की सूची तथा गवाहो की सूची जिनके आधार पर आरोप पत्र प्रस्तावित है, वह भी संलग्न है।

2 आपसे इस पत्र के द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि आप इस पत्र मिलने के 15 दिवस की अवधि में अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुये बतावे कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहो की सूची पूर्ण पते सहित भेजे।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्ही अभिलेखो को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखो की सूची विस्तृत ज़ानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप पत्रादि के साथ संलग्न अभिलेखो का अथवा उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज का अवलोकन करना चाहते है तो उन अभिलेखो की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

3 आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित उत्तर नियत समयावधि अर्थात 15 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर संभाग इन्दौर के माध्यम से प्राप्त नही होता तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णया लिया जा सकेगा।

4 इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति अविलंब भेजने की व्यवस्था करें।

संलग्नः–1 आरोप पत्र 2 अभिकथन पत्र 3 अभिलेखो की सूची 4 गवाहो की सूची।

<u>**स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।**</u>

28/8/18
(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

का/5

.......2

पृ. कमांक/4/शिका./सेल–2/एफ– 86/2018/ 1549 भोपाल दिनांक 28/8/2018

प्रतिलिपी::– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
3. मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल म.प्र. की टीप दिनांक 03.07.2018 के संदर्भ में प्रेषित।
4. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
5. कलेक्टर, जिला बडवानी म.प्र.।
6. क्षैत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.
7. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन म.प्र. की ओर आरोप पत्र की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि **डॉ. रमेश चन्द्र चोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय बडवानी** को जारी आरोप पत्र की तामिली कराते हुये, तामिली रिर्पोट एंव प्रतिवाद उत्तर शीघ्र प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अपने अभिमत सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
8. प्रभारी एम.आई.एस.सेल स्थानीय कार्यालय की ओर आरोप पत्र की प्रति भेजकर लेख किया जाता है कि जारी आरोप पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

28/8/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

निरन्तर.....3

आरोप पत्र

डॉ. रमेश चन्द्र चोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय बडवानी के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत आरोपो का विवरण :–

आरोप कमांक 01:–

यह कि आप डॉ. रमेश चन्द्र चोयल, जिला चिकित्सालय बडवानी में स्त्री रोग विशेषज्ञ, के पद पर पदस्थ है।

जिला चिकित्सालय बडवानी में आपकी पदस्थी दौरान प्रसूता श्रीमती जानू पति राजेश उम्र 30 वर्ष निवासी बरूखोदरा को दिनांक 04.02.2018 को दोपहर 1.30 बजे प्रसव पीडा होने के कारण जिला चिकित्सालय बडवानी में उपचार हेतु भर्ती हुई थी। श्रीमती जानू की मृत्यु दिनांक 05.02.2018 को रप्चर यूट्रस होने के कारण हो गई। मिशन संचालक एन.एच.एम. से प्राप्त प्रतिवेदन रिर्पोट अनुसार आपके द्वारा प्रसूता महिला को भर्ती होने के दिनांक 04.02.2018 से अगले दिन दोपहर तक महिला का परीक्षण नहीं किया गया। महिला का पॉचवा प्रसव था एवं 24 घंटे तक प्रसव में कोई प्रोग्रेस न होने पर ऑब्सट्रकटेड लेबर की आशंका नही की गई एवं समयानुसार निर्णय नही लिया गया।

परिजनो द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.02.2018 का सुबह 10.00 बजे आपके द्वारा महिला को देखे बिना नार्मेल डिलेवरी होने का आश्वासन दिया गया। दोपहर 3.00 बजे तक सिस्टर द्वारा नार्मेल डिलेवरी का आश्वासन दिया गया एवं 4.00 बजे रप्चर यूट्रस की आशंका होने पर महिला को एम.वाय.एच. इन्दौर के लिए रैफर किया गया।

जबकि चिकित्सालय में ब्लड बैंक एवं सिजेरियन की व्यवस्था थी। महिला की मृत्यु एम.वाय. अस्पताल इन्दौर पहुचने के पहले ही रास्ते में हो गयी। यदि आपके द्वारा प्रसुता हाईरिक्स होने के कारण महिला को समय पर देखा जाता व प्रोटोकॉल के अनुसार उचित निर्णय लिया जाता तो महिला की जान बचाई जा सकती थी।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में असफल रहते हुये आपके द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–3 के उप नियम एक के खण्ड (i) (ii) (iii) तथा का उल्लघन करते हुए स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया हैं।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

24/8/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

.....4

अभिकथम पत्र

डॉ. रमेश चन्द्र चोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय बडवानी के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत आरोप के समर्थन में कदाचारो का विवरण पत्रक :–

आरोप कमांक–1 के लिए

यह कि आप रमेश चन्द्र चोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, के पद पर जिला चिकित्सालय बडवानी में पदस्थ है। जिला चिकित्सालय बडवानी में आपके पदस्थी दौरान मिशन संचालक एन.एच.एम. की टीप कमांक 2033 दिनांक 03.07.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन (परिशिष्ट–1) संचालनालय को प्रेषित करते हुए यह अवगत कराया गया कि श्रीमती जानू पति राजेश उम्र 30 वर्ष निवासी बरूखोदरा तहसील जिला बडवानी की डिलेवरी के पश्चात् मृत्यु के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच दल गठित कर करवाई गई है।

जांच प्रतिवेदन अनुसार ए.एन.एम. मंजू सोलंकी द्वारा बरूखोदरा उप स्वास्थ्य केन्द्र में श्रीमती जानू पति राजेश का पंजीयन दिनांक 04.08.2017 को चार माह की गर्भावस्था में किया गया था। यह महिला का पांचवा बच्चा था। महिला की गर्भावस्था के दौरान पांच जांचे हुई एवं हाई रिक्स चिन्हकांन किया गया व हीमोग्लोबिन कम होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिलावद में आयरन शुक्रोज भी दिया गया।

श्रीमती जानू को 9 माह की गर्भावस्था में प्रसव पीडा होने पर दिनांक 04.02.2018 सुबह 11.50 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिलावद भर्ती किया गया। ड्यूटी पर उपस्थित स्टाफ नर्स द्वारा महिला का परीक्षण किया गया। महिला की केस शीट पूर्ण रूप से भरी गई एवं उसकी हिस्ट्री एवं परीक्षण का विस्तार से विवरण किया गया। महिला को ट्वीन्स प्रग्नेसी व ब्रीच की संभावना तथा हाईरिस्क के कारण जिला अस्पताल बडवानी रैफर करने हेतु लिखा गया।

प्रसूता श्रीमती जानू को दिनांक 04.02.2018 को दोपहर 1.30 बजे स्टाफ नर्से रजनी सैनी द्वारा जिला चिकित्सालय बडवानी में भर्ती किया गया। जिला चिकित्सालय बडवानी में न तो महिला की हिस्ट्री पूर्णरूप से ली गई न ही केस शीट में इन्वेस्टीगेशन के कॉलम भरे गये। ड्यूटी पर उपस्थित स्टाफ नर्से द्वारा डाक्टर से महिला का परीक्षण करवाया गया। परन्तु केस शीट पर किसी के भी द्वारा नाम व हस्ताक्षर अंकित नही किये गये। महिला की प्रसव की अवस्था को पार्टोग्राफ पर भी सही ढंग से अंकित नही किया गया। महिला दिनांक 04.02.2018 को लगभग 1.30 बजे अस्पताल में भर्ती हुई थी किन्तु आपके द्वारा अगले दिन दोपहर तक महिला का परीक्षण नही किया गया। महिला का यह पांचवा प्रसव था एवं 24 घंटे तक प्रसव में कोई भी प्रोग्रेस न होने पर भी आपके द्वारा ऑब्सट्रकटेड लेबर की आशंका नही की गई एवं समयानुसार निर्णय नही लिया गया।

.....5

परिजनों द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.02.2018 को सुबह 10.00 बजे आपके द्वारा महिला को देखे बिना उन्हें नार्मेल डिलेवरी होने का आश्वासन दिया गया। दोपहर 3.00 बजे तक भी सिस्टर द्वारा महिला की स्थिति को नॉर्मेल बताया गया एवं 4.00 बजे रप्चर यूट्रस की आशंका होने पर भी महिला को एम.वाय.एच. इन्दौर के लिए रैफर किया गया। जबकि जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक एवं सिजेरियन की व्यवस्था थी। महिला की मृत्यु एम.वाय. अस्पताल इन्दौर पहुॅचने के पहले ही रास्ते में हो गई। यदि आपके द्वारा हाईरिक्स प्रग्नेंसी होने के कारण महिला को समय से देखा जाता व प्रोटोकॉल के अनुसार उचित निर्णय लिया जाता तो महिला की जान बचाई जा सकती थी।

इस प्रकार आप अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में असफल रहते हुये आपके द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम–3 के उप नियम एक के खण्ड (i) (ii) (iii) तथा का उल्लघन करते हुए स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया हैं।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित

28/8/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

अभिलेखो की सूची

डॉ. रमेश चन्द्र चोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय बडवानी के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत आरोपो के संबंध में अभिलेखो की सूची :–

1 मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल की टीप कमांक 2033 दिनांक 03.07.2018 द्वारा संचालनालय को प्रेषित जांच प्रतिवेदन।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

गवाहो की सूची

डॉ. रमेश चन्द्र चोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय बडवानी के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत अधिरोपित आरोपो के संबंध में गवाहो की सूची :–

1 डॉ. हरगुनानी संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये, इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र.।

2 डॉ. भारती द्विवेदी स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय इन्दौर म.प्र.।

3 डॉ. पूर्णिमा गडरिया जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 इन्दौर।

4 डॉ. शालिनी कपूर टेक्नीकल लीव टाटा ट्रस्ट (एम.सी.एच.) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल म.प्र.।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

जांच प्रतिवेदन

(5)

श्रीमति जानू पति राजेश उम्र 30 वर्ष, निवासी बरूखोदरा, तहसील जिला बड़वानी की डिलेवरी के पश्चात मृत्यु के सम्बंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु मिशन संचालक के निर्देशानुसार जॉच दल जिसमें इन्दौर संभाग स्तर से डॉ. एम.सी. हरगुनानी संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय संचालक कार्यालय इन्दौर, डॉ. भारती द्विवेदी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय इन्दौर एवं डॉ. पूर्णिमा गड़रिया, जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 इन्दौर एवं राज्य स्तर से डॉ. शालिनी कपूर, टेक्नीकल लीड, टाटा ट्रस्ट सम्मिलित थे, द्वारा दिनांक 20.02.2018 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बड़वानी में श्रीमती जानू पति राजेश उम्र 30 वर्ष, की मृत्यु की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत दस्तावेजों की समीक्षा की गई एवं सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मृतका के परिवार जनों के कथन लिये गये।

दस्तावेजों एवं कथनों का विवरणः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बड़वानी में उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के अनुसार, घटनाक्रम इस प्रकार है :–

1. ए.एन.एम. मन्जु सोलंकी द्वारा बरूखोदरा, उप स्वास्थ्य केन्द्र में जानु पति राजेश का पंजीयन 04.08.2017 को 04 माह की गर्भवस्था में किया गया था। यह महिला का पाचवां बच्चा था। उन्हे टिटनस का इन्जेक्शन लगाया गया था। पहली जांच में हिमोग्लोबिन 09 ग्राम था युरीन जांच नार्मल थी, बी.पी. नार्मल था, दिनांक 01.09.02017 को दूसरी जांच की थी जिसमें हिमोग्लोबिन 08.6 ग्रम था। तीसरी जांच दिनांक 06.10. 2017 की थी जिसमें हिमोग्लोबिन 08 ग्रम था। युरीन जांच नार्मल थी, बी.पी. नार्मल था। चौथी जांच दिनांक 03.11.2017 की थी जिसमें हिमोग्लोबिन 08 ग्राम था। युरीन जांच नार्मल थी बी.पी. नार्मल था। पांचवी जांच दिनांक 02.02.2018 की थी जिसमें हिमोग्लोबिन 08 ग्राम था। युरीन जांच नार्मल थी, बी.पी. नार्मल था। ए.एन.एम. के कथन अनुसार उसने महिला के पेट की जांच भी हर परीक्षण के समय की थी। **ए.एन. सी. रजिस्टर की कॉपी व महिला के एम.सी.पी. कार्ड की कॉपी संलग्न–ध्वज '1'**

2. ए.एन.एम. के अनुसार उसने महिला को प्रारम्भ से ही हाईरिस्क प्रेगनेन्सी का प्रकरण बताया था, यह भी बताया था, कि उसकी डिलीवरी अस्पताल में होना जरूरी है। महिला का हिमोग्लोबिन कम होने के कारण आयरन सुक्रोस हेतु उसे दो बार सी.एच. सी. सिलावद भी रेफर किया गया (दिनांक 09.10.2017 एवं 05.01.2018)। महिला को दर्द होने होने पर उनके जेठ द्वारा सूचना प्राप्त हुई, जिसमें दिनांक 04.02.2018 को महिला को सी.एच.सी सिलावद से बड़वानी रेफर किया गया था तो ए.एन.एम. महिला के साथ जिला अस्पताल गई थी। आशा कार्यकर्ता बसंती रावत के कथनानुसार श्रीमती जानू को दर्द आने पर उसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई जबकि आगनवाड़ी कार्यकर्ता गीता सोलंकी के अनुसार दिनांक 04.02.2018 को सुबह 10 बजे उनके जेठ तिरला द्वारा सूचना दी जानें पर एम्बुलेंस बुलाई गई और अस्पताल सिलावद ले जाया गया । **आशा कार्यकर्ता बसंती रावत, आंगन वाड़ी कार्यकर्ता गीता सोलंकी एवं ए.एन.एम. मंजू सोलंकी के कथन संलग्न–ध्वज '2'**

Dr Shalini pl keep in original file

Ashish 2/5/18

23/05/18

(6)

3. जानु पति राजेश उम्र 30 वर्ष 04.02.2018 को दर्द आने के कारण 9 माह की गर्भावस्था में सुबह 11.50 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती किया गया। उस वक्त वहां स्टॉफ नर्स लता सोलंकी ड्यूटी पर थी, जिसने महिला का परीक्षण किया। महिला की केसशीट पूर्ण रूप से भरी गई एवं उसकी हिस्ट्री एवं परीक्षण का विस्तार से विवरण किया गया, केसशीट में वाइटल्स नार्मल बताये गये तथा दोनों तरफ एफ.एच.एस. सुनाई देने के कारण महिला को ट्वीन प्रेग्नेंसी व ब्रीच सोच कर हाईरिस्क के कारण जिला अस्पताल बड़वानी रेफर करने हेतु लिखा गया। महिला की रेफरल स्लिप भी पूर्ण रूप से भरी गई एवं उसे रिंगल लेक्टेट व एन्टीबायोटिक की एक डोज देकर बड़वानी के लिये रेफर किया गया। स्टॉफ नर्स लता सोलंकी ने अपने कथन में कहा कि पेट की जांच में महिला का पेट नार्मल से ज्यादा दिख रहा था। बच्चे की धड़कन दोनो तरफ मिल रही थी अंदरूनी जांच में मेम्ब्रेन एब्सेन्ट और बच्चे के बटक्स फील हो रहे थे। महिला की बच्चेदानी का मुंह 05 सेंटीमीटर खुला था। अतः उसके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिलावद में प्रारंभिक उपचार के उपरांत ट्वीन प्रेग्नेंसी सस्पेंक्ट होने पर महिला को जिला अस्पताल बड़वानी के लिये दिनांक 04.02.2018 समय दोपहर 12:10 बजे रेफर कर दिया गया। **सिलावद की केसशीट,रेफरल स्लिप तथा स्टॉफ नर्स लता सोलंकी के कथन–ध्वज'3'।**

4. जानु पति राजेश उम्र 30 वर्ष 04.02.2018 को दोपहर 1:30 बजे स्टॉफ नर्स रजनी सैनी द्वारा जिला चिकित्सालय बड़वानी में भर्ती किया गया। महिला की हिस्ट्री ली गई एवं केसशीट में जानकारी लिखी गई जो कि अपूर्ण है। केसशीट में हिस्ट्री व इन्वेस्टीगेषन के कॉलम नहीं भरे गये है। स्टॉफ नर्स के कथनानुसार महिला के वाईटल्स चेक करने बाद जो कि नार्मल थे, उसके द्वारा ड्यूटी पर उपस्थिति डॉक्टर पूजा नरगांवे को सूचित किया गया। डॉ. पूजा द्वारा महिला का परीक्षण किया गया एवं यह बताया गया कि महिला की स्थिति सामान्य है। डॉ. पूजा के कथनानुसार उनके द्वारा महिला जानु पति राजेश का दिनांक 04.02.2018 को दोपहर 01:30 बजे परीक्षण किया गया जिसमें उन्हें पेट का साईज नार्मल से ज्यादा बड़ा लगा एवं दोनों तरफ बच्चे की धड़कन सुनाई दी। अंदरूनी जांच में बच्चेदानी का मुंह 03 से 04 सेंटीमीटर खुला था, मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, बच्चे का बटक्स फील हो रहे थे और ट्वीन्स प्रेगनेन्सी सस्पेक्ट की गई जो कि केसशीट पर अंकित है। डॉ. पूजा द्वारा बताया गया कि इसके उपरांत महिला को वार्ड में भेज दिया गया और उनके द्वारा दोपहर 02 बजे ड्यूटी पर आने वाली डॉ. प्रतिभा अवास्या को महिला के बारे में बता दिया था। **संलग्न डयूटी रोस्टर ध्वज '4'।**

5. दिनांक 04.02.2018 को दोपहर 02 से 08 बजे स्टॉफ नर्स श्वेता सोलंकी एवं सोनम दास ड्यूटी पर थी। महिला का परीक्षण 2:30 बजे डयूटी डॉक्टर प्रतिभा आवास्या द्वारा किया गया। महिला का बी.पी. 130–80 था, पल्स 72 एफ.एच.एस. 140 थी। डॉ. प्रतिभा अवास्या के कथनानुसार उनके द्वारा महिला को 2.30 बजे देखा गया, अंदरूनी जांच में बच्चेदानी का मुंह 05 से 06 सेंटीमीटर खुला था मेम्ब्रेन एब्सेन्ट थी, हेड एबव द ब्रीम था और उन्हें बच्चे की सिंगल धड़कन (एफ.एच.एस.) ही सुनाई दी। केसशीट पर

अंकित नोट्स के अनुसार 2.30 बजे के परीक्षण में महिला को लीकिंग होना भी बताया गया था, डॉ. प्रतिभा के कथनानुसार वह महिला को केथेट्राईस करना चाहती थी परंतु उसे देखने के बाद वह ओ.टी में चली गई व लौटने के बाद 06 बजे महिला उन्हें बेड पर नहीं मिली। उन्हें एक तरफ ही बच्चे की धड़कन मिली व ट्वीन्स प्रगेनेन्सी नही लगी। डॉ. प्रतिभा के कथनानुसार महिला के विषय में उनके द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञ को ओ.टी. मे बता दिया था। परंतु इस विषय में कोई जानकारी केसशीट पर अंकित नही है। शाम 6 बजे के उपरांत महिला अपने बिस्तर पर नही मिली केसशीट पर क्रमशः 6, 7:30,8:30,10:30,11:30 बजे तक महिला के न मिलने के नोट्स अंकित किये गये केसशीट पर बीच बीच में इसका विवरण लिखा गया है केसशीट पर पृष्ठ क्रमांक 6 , 8 एवं 9 पर भी अंकित है। पृष्ठ 6 पर पांचवा प्रसव होने के कारण महिला की माँ से हाई रिस्क सहमति भी ली गई। पृष्ठ 6 पर ऊपर की ओर दिनांक 05/02/18 को 2:30 बजे के नोट्स भी अंकित है जिसके अनुसार महिला के प्रसव में कोई प्रोगरेस नही हुई एवं महिला की स्थिति स्टेबल रही। केसशीट के पृष्ठ क्रमांक 7 पर महिला का पार्टोग्राफ भी सही प्रकार से नही भरा गया है। चार घंटे में लेबर की प्रोग्रेस 8 सेमी. दर्शायी गयी है। जबकि केसशीट में 5–6 में अकिंत है। नाईट स्टॉफ को चार्ज दिया गया कि महिला बिस्तर पर नहीं है। **संलग्न जिला चिकित्सालय की केशसीट ध्वज '5'।**

6. जिला चिकित्सालय में की गई जांचो के अनुसार महिला जानू पति राजेश का हिमोग्लोबिन 9 ग्राम, ब्लड शुगर 78 मिग्रा., ब्लड ग्रुप 'ओ' पॉजीटिव तथा एबीएसएजी नेगेटिव था। **संलग्न इंवेस्टीगेशन रिपोर्ट ध्वज '6'।**

7. स्टॉफ नर्स किर्ती गोटिया एवं भुरी खान दिनांक 04.02.2018 को शाम 08 बजे से सुबह 08 बजे ड्यूटि पर थीं। महिला इस समय पर बिस्तर पर नहीं थी अतः उनके द्वारा महिला को नहीं देखा गया ।

8. दिनांक 05.02.2018 को सुबह 08 से 02 बजे तक रजनी सैनी ड्यूटी पर थी। उसके कथनानुसार उसे सुबह राउंड पर महिला बिस्तर पर नही मिली। दोपहर में 12 बजे महिला लेबर रूम में दर्द के साथ आई एवं उसकी जांच की गई जिसके अनुसार बच्चेदानी का मुंह 05 से 06 सेंटीमीटर खुला था, मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। जो कि केषीसीट के पृष्ठ क्र. 8 पर अंकित है। स्टॉफ नर्स के अनुसार उसके द्वारा डॉ. रमेंशचन्द चोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा महिला का परीक्षण कराया गया। उनके द्वारा महिला को केथेटर लगाने एवं ईन्जेक्शन बसकोपेन और आर.एल. देने को कहा गया। दोपहर 02 बजे तक महिला के वाईटल्स नार्मल थे।

9. डॉ. रीतु भौंसले दिनांक 05.02.2018 को दोपहर 02 बजे से रात्री 08 बजे तक ड्यूटि पर थी। उनके द्वारा जानु पति राजेंश महिला को दोपहर 02:30 बजे लेबर रूम में जांच की गई, उस समय महिला को हल्के दर्द आ रहे थे। महिला का बी.पी. 100/60 था। बच्चे की धड़कन नार्मल थी । अदरूनी जांच में बच्चेदानी का मुह 06 से 07 सेंटीमीटर खुला हुआ था। महिला की स्थिति सामान्य थी, महिला को आर.एल. ड्रीप चल रही थी।

उसके बाद 03:30 बजे के आस–पास आशा द्वारा महिला को देखने के लिये कहा गया। डॉ. के कथनानुसार उस समय महिला का बी.पी. बहुत कम था, महिला शॉक में थी, तुरन्त सिस्टर को बुलाकर एक और आई.वी.लाईन मेन्टन करने के लिये कहा गया। महिला को डोपामीन ड्रिप लगवाई गई। डॉक्टर के कथनानुसार महिला की अदरूनी जांच में रक्त स्त्राव हो रहा था। महिला के यूरीन में ब्लड आ रहा था। महिला के पेट पर हाथ लगाने से महिला को दर्द हो रहा था। बच्चे की धड़कन कम हो गई थी, उनके द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञ को कॉल किया गया और ब्लड लगवाने के लिये कहा गया। डॉ. चोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिये कॉल गाड़ी भिजवाई गई और उनके द्वारा महिला को आकर देखा गया एवं यूट्राईन रप्चर की संभावना की गई और महिला जो कि शॉक में थी, का प्रबंधन किया गया एवं एक यूनिट ब्लड लगवाया गया। केसशीट पर 3:00 बजे, 3:35 बजे, 3:40 बजे, 4:15 बजे एवं 05:00 बजे के नोट्स के अनुसार 3 बजे महिला की स्थिति स्टेबल थी पर वह लगातार गंभीर होती गई। 3:35 बजे महिला के बी.पी. में गिरावट आई व एफ.एच.सी भी अनियमित हो गई। केसशीट पर अंकित नोट्स व्यवस्थित नहीं है जिससे कि क्रमवार जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। 3:40 pm को महिला को एम.व्हाय एच रेफर किया गया एवं महिला की स्थिति की गंभीरता बताते हुए परिजनों से सहमति ली गयी। महिला के परीजनों को गंभीर स्थिति के बारे में बताया गया था किन्तु डॉक्टर के कथनानुसार महिला के परीजन महिला को इन्दौर ले जाने के लिये बहुत देर बाद तैयार हुए और महिला को लगभग 05 बजे 108 में इन्दौर ले गये परंतु रास्ते में वाहन में ही महिला की मृत्यु हो गई। **डॉ. चोयल के कथन संलग्न ध्वज '7'**

10. महिला के जेठ श्री तिरला एवं उनकी पत्नी श्रीमती अनीता के कथनानुसार महिला को दिनांक 04.02.2018 को रात्रि 01 बजे से हल्के दर्द शुरू हुए लगभग 03–04 बजे रात्री को पानी की थैली फटी गई उनको रात भर मे प्रसव हो जायेगा, लेकिन सुबह 10 बजे तक नही हुआ। तो एब्लेंस बुलाकर सामु.स्वा.केन्द्र सिलावद ले गये वहा से सिस्टर ने जुडवा बच्चे होने के कारण जिला अस्पताल बड़वानी रेफर कर दिया। बड़वानी दोपहर 01:30 बजे आये। बड़वानी में सिस्टर द्वारा खून की जांच कराई गई जिसमें ब्लड 09 पाईन्ट बताया गया । सिस्टर द्वारा कहा गया कि दर्द होने पर अंदर आना और पलंग नही दिया गया । श्रीमती जानू को परिजनों के साथ परिसर में ही रात बीतानी पड़ी ,एवं दूसरे दिन दिनांक 05.02.2018 सुबह 08 बजे पलंग दिया गया ।
सुबह परिजन डॉक्टर चौयल साहब के घर गये तो वहां पता चला कि डॉक्टर साहब अस्पताल में है, तो परिजन अस्पताल गये जहां उन्होने डॉक्टर को बोला कि महिला कल से भर्ती है व पानी जा रहा है तो क्या सोनाग्राफी की आवश्यकता है तो डाक्टर चौयल ने कहा कि महिला को कोई भी परेशानी होने पर डयूटी सिस्टर द्वारा उन्हे सूचित किया जायेगा एवं परिजनों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परिजन सिस्टर के पास सुबह 10 बजे गये और सोनाग्राफी के विषय में पुछा गया परंतु सिस्टर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। प्रसव न होने के कारण परिजनों ने कहा कि लिखित में दे दिया जाये कि वह प्रसव प्राइवेट मे करवा लें। सिस्टर द्वारा नॉर्मल डिलेवरी के विषय में ही बताया गया और डॉ चौयल द्वारा दोपहर 04 बजे इन्दौर रेफर करने के लिये कहा गया। परिजनों द्वारा रेफर के लिये मना कर दिया गया था ।

(9)

डाक्टर द्वारा स्वयं की जिम्मेदारी से राजपुर से 108 एम्बुलेस बुलाकर रेफर कर दिया गया। 05:30 बजे इन्दौर के लिये ले गये। एम.व्हाय.हॉस्पिटल इन्दौर पहुचने के पहले ही महिला की मृत्यु हो गई । एम.व्हाय.हॉस्पिटल इन्दौर में ही महिला का पी.एम.किया गया। **परिजनों के कथन संलग्न ध्वज '8'।**

जांच के तथ्य एवं निष्कर्ष :–

1. श्रीमती जानू पति राजेश का पंजीयन 04 माह की गर्भावस्था में किया गया व यह उसका पांचवा बच्चा था। महिला की गर्भावस्था के दौरान 05 जांचे हुई एवं हाई रिस्क चिन्हांकन किया गया व हिमोग्लोबिन कम होने के कारण सीएचसी सिलावद में आयरन सुक्रोज भी दिया गया।
2. प्रसव पीडा होने पर सीएचसी सिलावद में स्टाफ नर्स द्वारा महिला को सही प्रकार रे देखा गया एवं जुडवा बच्चों की आशंका होने के कारण समय से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया एवं रेफरल स्लिप भी पूर्ण रूप से भर दी गई। जिला चिकित्साल बडवानी में न तो महिला की हिस्ट्री पूर्ण रूप से ली गई ना ही केशसीट में इन्वेस्टीगेशन के कॉलम भरे गये। डयूटी पर उपस्थित स्टाफ नर्स द्वारा डॉक्टर से महिला का परीक्षण करवाया गया। परंतु केसशीट पर किसी के भी द्वारा नाम व हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये। महिला के प्रसव की अवस्था को पाटोग्राफ पर भी सही प्रकार से अंकित नहीं किया गया। स्टाफ नर्सेस द्वारा दिये गये कथनों में कहा गया कि महिला बिस्तर पर उपस्थित नही थी। जबकि परिजनो द्वारा बताया गया कि महिला को बिस्तर प्रदान नहीं किया गया। अतः वह दिनांक 04.02.2018 को अस्पताल परिसर में ही रहीं। महिला दिनांक 04.02.2018 को लगभग दोपहर 01:30 बजे अस्पताल में भर्ती हुई थी। परंतु अगले दिन दोपहर तक महिला का परीक्षण स्त्रीरोग विशेषज्ञ द्वारा नहीं किया गया।
3. महिला का यह पांचवा प्रसव था एवं 24 घण्टे तक प्रसव में कोई भी प्रोग्रेस न होने पर भी ऑब्सट्रकटेड लेबर की आशंका नही की गई एवं समयानुसार निर्णय नही लिया गया।
4. दिनांक 05.02.2018 को दोपहर में रप्चर यूट्रस की आशंका होने पर भी महिला को एम वाय एच इंदौर के लिये रेफर किया गया जबकि जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक एवं सिजेरियन की व्यवस्था थी। यदि इस प्रकरण में समय से उचित निर्णय लिया जाता तो महिला की जान बचाई जा सकती थी।

डॉ. हरगुनानी संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय संचालक कार्यालय इन्दौर	डॉ. भारती द्विवेदी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय इन्दौर	डॉ. पूर्णिमा गड़रिया, जिला स्वास्थ्य अधिकारी–1 इंदौर	डॉ. शालिनी कपूर टेक्नीकल लीड, टाटा ट्रस्ट